श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केंद्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

क्रमांक: एफ़.1(116) / ला.बा.शा.रा.सं.वि./सा.प्र./2021-22/574 दिनांक: 18/10/2021

कार्यालय आदेश

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा दिनांक 01/09/2021 को जारी किए गए परिपत्र संख्या- 15/09/21 के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में दिनांक 26/10/2021 से 01/11/2021 तक *"Independent India @ 75: Self Reliance with Integrity; स्वतंत्र भारत @ 75 : सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता"* विषयक थीम पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 का आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी की देखरेख में सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2021 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी: -

दिनांक और समय	गतिविधि	स्थान
26/10/2021 (प्रातः 11:00 बजे) (मंगलवार)	(क) विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक/ गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों और छात्रों द्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा समारोह । **(कोविड -19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और भीड़ के जमावड़े से बचने के लिए, सभी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित विभागों / अनुभागों में ही सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लें** (ख) विश्वविद्यालय परिसर में पम्फ्लेट्स का वितरण एवं complaints under PIDPI के अंतर्गत बैनर व पोस्टर का प्रदर्शन	अनुभागीय प्रमुखों/ विभागाध्यक्षों की उपस्थिति में (सभी विभागों/ अनुभागों में)
27/10/2021 (प्रातः 11:00 बजे) (बुधवार)	विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता। विषय : स्वतंत्र भारत: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता	वाचस्पति सभागार
28/10/2021 (प्रातः 11:00 बजे) (गुरुवार)	विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिता। विषय: स्वतंत्रता के 75 वर्ष : आत्मनिर्भर भारत	वाचस्पति सभागार
01.11.2021 (प्रातः 11:00 बजे) (सोमवार)	मुख्य सतर्कता अधिकारी का व्याख्यान एवं पुरस्कार वितरण समारोह	वाचस्पति सभागार

सभी विभागाध्यक्षों / अनुभागीय प्रमुखों से अनुरोध है कि वे सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा कार्यक्रम के छायाचित्र व वीडियो रिकॉर्डिंग को U-drive -> Administration Folder -> Vigilance Awareness Week Folder पर साझा करें ताकि संबंधित छायाचित्र व वीडियो रिकॉर्डिंग को समयानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी) को प्रेषित की जा सके |

कृ.पृ.उ.

उपर्युक्त गतिविधियों के अतिरिक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2020 में आयोजित की गई निम्नलिखित आंतरिक गतिविधियों का आयोजन इस वर्ष भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2021 (26/10/2021 से 01/11/2021) के दौरान किया जाएगा: -

क्र.सं.	गतिविधियों की सूची	सूचना	पिछले एक वर्ष में प्रगति	आयोजन एवं संयोजन
01	भूमि प्रबंधन			अभियांत्रिकी विभाग
	(क) क्या संगठन के पास अपने नियंत्रणाधीन भूमि के राजस्व दस्तावेज/ रिकॉर्ड हैं ?	हाँ/ नही		
	(ख) कितनी भूमि पर अतिक्रमण है और यह किन स्थानों पर है?	हाँ/ नही		
	(ग) अतिक्रमण से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?	हाँ/ नही		
	(घ) कोई अन्य पहल?	….		
02	आवास / निवास का आबंटन और संबंधित मुद्दे			सामान्य प्रशासन अनुभाग
	(क) क्या संगठन आवास आबंटन के लिए आई टी एप्लीकेशन का उपयोग करता है?	हाँ/ नही		
	(ख) क्या संगठन आवास आबंटन के लिए आई टी एप्लीकेशन का उपयोग करता है?	हाँ/ नही		
	(ग) क्या निर्धारित नीति के अनुसार आवास आबंटन किया जाता है ?	हाँ/ नही		
	(घ) क्या आवासों पर कोई अवैध कब्ज़ा है, यदि कोई है तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?	हाँ/ नही		
	(ङ) अन्य कोई मुद्दा ?	…		
03	संगठन में आउटसोर्स सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों को भुगतान और अन्य लाभ			प्रशासन –I, प्रशासन-II व लेखा अनुभाग
	(क) क्या संगठन के पास आउटसोर्सिंग के लिए निर्धारित मानदंड हैं?	हाँ/ नही		
	(ख) यदि हाँ, तो क्या इन मानदंडों का पालन किया जाता है?	हाँ/ नही		
	(ग) क्या ठेकेदार द्वारा वेतन/ मजदूरी का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है?	हाँ/ नही		
	(घ) क्या अन्य सांविधिक देय (पीएफ, चिकित्सा लाभ, आदि) समय पर दिए जा रहे हैं?	हाँ/ नही		
	(ङ) क्या आउटसोर्स व्यक्तियों को देय मजदूरी का भुगतान अनुबंध की शर्तो के अनुसार किया जाता है और प्रबंधन द्वारा कोई परीक्षण जाँच की जाती है?	हाँ/ नही		
	(च) क्या विक्रेता संगठन द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन कर रहे हैं?	हाँ/ नही		
	(छ) आउटसोर्सिंग से संबंध में कोई अन्य विशेष पहल?	…		

क्र.सं.	गतिविधियों की सूची	सूचना	पिछले एक वर्ष में प्रगति	आयोजन एवं संयोजन
04	मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा किये गए सतर्कता निवारक उपाय			
	(क) निरीक्षण की संख्या	.....		मुख्य सतर्कता अधिकारी कार्यालय
	(ख) ई-परीक्षण / ऑनलाइन प्रशिक्षण सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशालाएँ	....		
	(ग) क्या सभी अधिकारियों द्वारा वार्षिक संपति रिटर्न प्रस्तुत किया गया है?	हाँ/ नही		
05	प्रोद्योगिकी उत्तोलन- आईटी उपयोग और ई-गवर्नेंस			
	(क) एक निवारक सतर्कता उपाय के रूप में आईटी का उपयोग करने के लिए पिछले एक वर्ष में की गई नई पहलें (प्रत्येक पहल लगभग 50 शब्दों में वर्णित की जाए)	हाँ/ नही		संगणक केंद्र
	(ख) क्या संगठन में चल रहे आईटी आधारित अनुप्रयोगों के लिए सूचना प्रणाली परीक्षण नियमित रूप से किया जाता है? अंतिम सूचना प्रणाली परीक्षण की तिथि दी जाए।	हाँ/ नही		
06	नियमों, विनयमों और दिशानिर्देशों को अद्यतन करना			
	(क) क्या संगठन नियमित रूप से अपने अनुदेशों, नियमों और विनियमों को संशोधित करता है? यदि हाँ, तो खरीद नियम, सीडीए नियमावली, स्थानांतरण/ तैनाती नीति, एचआरए नीति, पदोन्नति नीति, धोखाधड़ी निवारण नीति/ व्यापार नीति पर प्रतिबंध, आदि की अंतिम संशोधन की तिथि	हाँ/ नही		प्रशासन-।, प्रशासन-॥ एवं लेखा विभाग
	(ख) क्या संगठन ने सेवानिवृत अधिकारियों के लिए नियम बनाए है? यदि हाँ, तिथि प्रस्तुत करें	हाँ/ नही		
07	संपत्ति का प्रबंधन			
	(क) क्या संपत्ति (संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, विविध वस्तुओं) का निष्पादन नियमानुसार किया जा रहा है ?	हाँ/ नही		अभियांत्रिकी विभाग
	(ख) संपत्ति (संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, विविध वस्तुओं) की अंतिम निष्पादन की तारीख दी जा सकती है	....		

कृ.पृ.उ.

क्र.सं.	गतिविधियों की सूची	सूचना	पिछले एक वर्ष में प्रगति	आयोजन एवं संयोजन
08	लिंग संवेदीकरण मामले			मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति
	(क) क्या संगठन ने कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के लिए निर्धारित समिति का गठन किया है? यदि हां, तो पिछली बैठककी तारीख	हाँ/ नही		
	(ख) संगठन में सभी स्तरों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत	……		
	(ग) क्या संगठन में इन मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है	हाँ/ नही		
09	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का जाँच/ परीक्षण यदि हां, तो परीक्षणों/ जांचों की संख्या दें		……		लेखा विभाग
10	प्रणाली में सुधार के उपाय प्रणाली सुधार कार्यों/ की गई पहलों का विवरण	प्रत्येक कार्य/पहल का विवरण 50 शब्दों में दिया जा सकता है और सभी कार्यों के लिए विवरण कुल 100 शब्दों से अधिक ना हो	…..		मुख्य सतर्कता अधिकारी

सभी विभागाध्यक्षों / अनुभागीय प्रमुखों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित विभागों / अनुभागों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 के उपलक्ष्य में उल्लिखित गतिविधियों (क्रम संख्या 01 से 10) का आयोजन करें। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी) को प्रेषित करने हेतु उपरोक्त गतिविधियों की संक्षिप्त रिपोर्ट दिनांक 05/11/2021 तक सामान्य प्रशासन को भेजने की कृपा करें |

उपरोक्त के संबंध में समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्रों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त कार्यक्रम की तिथि व समयानुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 संबंधी गतिविधियों में भाग लें तथा कोविड -19 संक्रमण से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों जैसे - फेसमास्क पहनना, सामाजिक दूरी आदि का पालन करें |

यह कार्यालय आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है |

जे.पी. सिंह
18/X/2021

(जे. पी. सिंह)
सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)

प्रतिलिपि: -

1. समस्त संकाय प्रमुख/ विभागाध्यक्ष।
2. ओ.एस.डी (परीक्षा)
3. कुलानुशासक / मुख्य सतर्कता अधिकारी / छात्रावास अधिष्ठाता
4. उप-कुलसचिव (लेखा) / उप-कुलसचिव (परीक्षा)
5. अधिशासी अभियंता : इस आशय से प्रेषित की वे उक्त तिथियों पर आयोजित कार्यक्रमों के लिए माइक्रोफोन, लाइट, कुर्सियाँ इत्यादि की आवश्यक व्यवस्था हेतु संबंधित कर्मचारी को आवश्यक निर्देश दें |
6. संगणक प्रमुख को इस आशय से प्रेषित कि:
   (i) उक्त कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें |
   (ii) विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें।
   (iii)उपरोक्त तिथि व समयानुसार फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की आवश्यक व्यवस्था करें ताकि रिपोर्ट सी.वी.सी को प्रेषित की जा सकें |

7. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष

8. समस्त सहायक कुलसचिव

9. सहायक कुलसचिव (विकास): इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आयोजन हेतु वाचस्पति सभागार की उपलब्धता के लिए आवश्यक व्यवस्था करें |

10. कुलपति / कुलसचिव के निजी सचिव

11. समस्त अनुभाग अधिकारी

12. समस्त सूचना पट्ट

13. सम्बंधित पत्रावली

14. कार्यालय आदेश पत्रावली

जे. पी. सिंह
18/X/2021

(जे.पी. सिंह)
सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)

संलग्नक: सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

नागरिक – ईमानदारी प्रतिज्ञा

मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार हमारे देश की आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक प्रगति की राह में आई प्रमुख बाधाओं में से एक रहा है। मेरा यह भी मानना है कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सभी हितधारकों जैसे कि सरकार, नागरिक और निजी क्षेत्र को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

मुझे लगता है कि हर नागरिक को सतर्क रहने, हर समय ईमानदारी व निष्ठा के उच्च मानकों को बनाए रखने और भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए।

इसलिए, मैं, देश के एक नागरिक के रूप में शपथ लेता हूँ कि, सदैव:

- अपने जीवन में ईमानदारी और न्याय का पालन करूँगा;
- न कभी रिश्वत लूँगा और न रिश्वत दूँगा;
- सभी कार्य ईमानदारी व पारदर्शिता से करूँगा और उनके लिए जवाबदेह रहूँगा;
- विषयनिष्ठ रहूँगा और निष्पक्षता से निर्णय करूँगा;
- लोकहित को सर्वोपरी रख कर कार्य करूँगा;
- अपने व्यक्तिगत व्यवहार में ईमानदारी का आदर्श स्थापित करूँगा;
- भ्रष्टाचार कि हर घटना के बारे में उचित शासकीय संस्था को सूचित रखूँगा।